

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश

लखनऊ-226027

संख्या:ई-5914 / 32-जी0एस0 / 2025 / 103-3 / 154 / 2025

दिनांक 26 अगस्त, 2025

प्रेषक,

श्री राज्यपाल / कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी
उत्तर प्रदेश ।

सेवा में,

कुलपति / निदेशक,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय / संस्थान,
(चिकित्सा विश्वविद्यालय / संस्थान को छोड़कर)
उत्तर प्रदेश ।

विषय: विश्वविद्यालय / संस्थान व उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य किये जाने तथा सी.सी.टी. वी. कैमरा लगाये जाने के संबंध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2- माननीया कुलाधिपति महोदया द्वारा विश्वविद्यालयों / संस्थानों तथा उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्रों की उपस्थिति नियमानुसार 75 प्रतिशत अनिवार्य किये जाने तथा उनमें सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

विश्वविद्यालय के नियमानुसार किसी भी छात्र की कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होती है। अक्सर यह पाया जाता है कि छात्रों की कक्षा में उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम रहती है, यदि ऐसा पाया जाता है तो ऐसे छात्रों की कम उपस्थिति के कारण नियमानुसार वह परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं।

कृपया छात्रगणों को इस आशय की नोटिस निर्गत करने का कष्ट करें कि यदि किसी छात्र / छात्रा की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम होगी तो उसे परीक्षा फार्म भरने की एवं परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी। इस नोटिस को विश्वविद्यालय / संस्थान व सम्बद्ध महाविद्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने के साथ ही इसे वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाये तथा इससे छात्रगणों को कक्षाओं में व्यक्तिगत रूप से भी अवगत कराया जाये। यदि उपस्थिति बायोमैट्रिक प्रणाली से सुनिश्चित हो तो उपयुक्त होगा ।

3- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन करने का कष्ट करें।

भवदीय,



(डॉ. पंकज एल. जानी)

कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी ।